

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त 2023—श्रावण 13, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, तोरण सिंह, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य सभी दस्तावेजों में उसका नाम खुशबू अहिरवार (Khushbu Ahirwar) अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड में उसका नाम पूजा (Pooja) हो गया है, जबकि उसका वास्तविक नाम खुशबू अहिरवार (Khushbu Ahirwar) है, अब से मेरी पुत्री को खुशबू अहिरवार (Khushbu Ahirwar) के नाम से लिखा—पढ़ा, जाना—पहचाना जाए।

पुराना नाम
पूजा (Pooja)

नया नाम
खुशबू (Khushbu Ahirwar)
पता—वार्ड क्र. 04, गोपालपुर,
जिला रायसेन, म.प्र.

(G-1472)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कृपाल कुमार अहिरवार पुत्र श्री घनश्याम अहिरवार है तथा समस्त दस्तावेजों, शासकीय एवं अंकसूची में मेरा नाम कृपाल कुमार अहिरवार है, मैंने अपना नाम परिवर्तित कर कृपाल सिंह कर लिया है। अतः, अब मुझे कृपाल सिंह के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

पुराना नाम
(कृपाल कुमार अहिरवार)

नया नाम
(कृपाल सिंह)
पता— 24-ए, शंकर गार्डन, सेमरा रोड,
गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)

(G-1473)

नाम परिवर्तन

हम मो आसिफ एवं अमरीन, सर्वसाधारण को सूचित करते हैं कि हमारे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम मो. अफ़ान शीशगर (Mohd. Affan Shishgar) अंकित हो गया है, जिसमें लिपिक त्रुटि से डॉट लग गया है जो कि गलत है, उसका नाम मो अफ़ान शीशगर (Mohd Affan Shishgar) है। विज्ञप्ति के उपरांत उसे मो अफ़ान शीशगर (Mohd Affan Shishgar) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम (मो. अफ़ान शीशगर) (Mohd. Affan Shishgar)	नया नाम (मो अफ़ान शीशगर) (Mohd Affan Shishgar) पता—492, जय प्रकाश नगर, हुजूर, भोपाल (एम. पी.)
(G-1474)	

नाम परिवर्तन

मैं, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम नर्वदाप्रसाद है। आधार कार्ड में मेरा नाम बाला प्रसाद पुत्र धन्नालाल अंकित है। उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। भविष्य में मुझे नर्वदाप्रसाद पुत्र धन्नालाल के नाम से ही जाना—पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (बाला प्रसाद)	नया नाम (नर्वदाप्रसाद)
(G-1475)	पता—मं. नं. 33, भानपुर, भोपाल।

नाम परिवर्तन

मैं, ऐश्वर्य यादव (AISSHWARYA YADAV) पिता रमण महर्षि यादव, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व नाम ऐश्वर्य यादव (AISSHWARYA YADAV) पिता रमण महर्षि यादव था, जो कि मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है। अब मैं, सभी दस्तावेजों पर अपना वास्तविक नाम ऐश्वर्य यादव (AISSHWARYA YADAV) पिता रमण महर्षि यादव कर लिया है। भविष्य में मुझे मेरे नये नाम ऐश्वर्य यादव (AISSHWARYA YADAV) पिता रमण महर्षि यादव के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं बोला जावे।

पुराना नाम (ऐश्वर्य यादव) (AISSHWARYA YADAV)	नया नाम (ऐश्वर्य यादव) (AISSHWARYA YADAV) पिता—रमण महर्षि यादव।
(G-1476)	

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती नवलतारा शुक्ला पति श्री लक्ष्मीनारायण शुक्ला, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व नाम तान्या पति लक्ष्मीनारायण शुक्ला था। अब मैंने अपने वास्तविक नाम श्रीमती नवलतारा शुक्ला पति श्री लक्ष्मीनारायण शुक्ला कर लिया है। अब मुझे, भविष्य में श्रीमती नवलतारा शुक्ला पति श्री लक्ष्मीनारायण शुक्ला के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं बोला जावे।

पुराना नाम (तान्या)	नया नाम (नवलतारा शुक्ला) पति—श्री लक्ष्मीनारायण शुक्ला।
(G-1477)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मेरा पूर्व नाम अंशुल गंगराडे पिता श्री ओमप्रकाश गंगराडे (पुराना नाम) जो कि मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है। अब मैंने अपने सभी दस्तावेजों में अपना वास्तविक नाम अंशुल अग्रवाल (ANSHUL AGRAWAL) पिता श्री ओमप्रकाश गंगराडे कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम अंशुल अग्रवाल पिता श्री ओमप्रकाश गंगराडे के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं बोला जावे।

पुराना नाम

(अंशुल गंगराडे)

(G-1478)

नया नाम

(अंशुल अग्रवाल)
(ANSHUL AGRAWAL)

पिता—श्री ओमप्रकाश गंगराडे।

नाम परिवर्तन

मैं, सोनिया चांदवानी पति राजेश चांदवानी, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि, मेरा पूर्व नाम अनुष्का संतोष लालवानी था, जो कि मेरे आधार कार्ड पर दर्ज है। अब मैं, आधार कार्ड पर अपना वास्तविक नाम सोनिया चांदवानी पति राजेश चांदवानी दर्ज करवाना चाहती हूँ। भविष्य में सोनिया चांदवानी पति राजेश चांदवानी के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं बोला जावे।

पुराना नाम

(अनुष्का संतोष लालवानी)

(G-1479)

नया नाम

(सोनिया चांदवानी)
पति—राजेश चांदवानी।

नाम परिवर्तन

मैं, महेश कुमार राठी पिता गणेश मल राठी (नया नाम), सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पर मेरा नाम महेश माहेश्वरी पिता गणेश मल राठी, निवासी—19, गुमाश्ता नगर, सुख निवास रोड, इन्दौर (म.प्र.) दर्ज है, जबकि मेरा वास्तविक नाम महेश कुमार राठी पिता श्री गणेश मल राठी है, जो मेरे आधार कार्ड व पेन कार्ड पर दर्ज है। उपरोक्त दोनों नाम महेश कुमार राठी व महेश माहेश्वरी एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं।

अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम महेश कुमार राठी पिता श्री गणेश मल राठी के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं बोला जावे।

पुराना नाम

(महेश माहेश्वरी)

(G-1480)

नया नाम

(महेश कुमार राठी)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम RAJ KUMAR VADERA से बदलकर नया नाम SIDDHANT WADHERA रख लिया है। मुझे सभी शासकीय एवं अद्वशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मेरे नये नाम SIDDHANT WADHERA के नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं उपयोग किया जावे।

पुराना नाम

(RAJ KUMAR VADERA)

(G-1481)

नया नाम

(SIDDHANT WADHERA)

S/o PRINCE WADHERA,
ADD-J-412, JANTA QUARTAR,
DARPARN COLONY, THATIPUR, GWALIOR (M.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती शिल्पी चौधरी (Shilpi Choudhari) पत्नी श्री शैलेश चौधरी, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा शादी से पूर्व का नाम शिल्पी जैन (Shilpi Jain) पुत्री श्री देवेन्द्र कुमार जैन था, जो मेरे सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय प्रपत्रों, शेयर और निवेश में लिखा है। मेरी शादी के उपरांत मुझे शिल्पी चौधरी (Shilpi Choudhari) पत्नी श्री शैलेश चौधरी के नाम से ही जाना—पहचाना और पुकारा जाता है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड में उल्लेखित है। शिल्पी जैन और शिल्पी चौधरी दोनों मेरे ही नाम हैं। भविष्य में मुझे अपने नये नाम शिल्पी चौधरी (Shilpi Choudhari) पत्नी श्री शैलेश चौधरी के नाम से ही जाना—पहचाना एवं पुकारा जावे एवं मेरे सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम शिल्पी चौधरी (Shilpi Choudhari) पत्नी श्री शैलेश चौधरी लिखा एवं पढ़ा जाए।

पुराना नाम
(शिल्पी जैन)
(Shilpi Jain)
पुत्री—श्री देवेन्द्र कुमार जैन
जवाहर वार्ड, गार्डरवारा (म.प्र.)

नया नाम
(शिल्पी चौधरी)
(Shilpi Choudhari)
पत्नी—श्री शैलेश चौधरी,
निवासी—ई-31, B.D.A. कॉलोनी,
कोहे फिजा, भोपाल (म.प्र.).

(G-1482)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनीता (SUNITA) पत्नी विशन सिंह, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम राजकुमारी यादव (RAJ KUMARI YADAV) था, जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा है। मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक एवं अन्य प्रपत्रों इत्यादि में मेरा नाम सुनीता लिखा है। सुनीता एवं राजकुमारी यादव दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम राजकुमारी यादव के स्थान पर सुनीता लिखा एवं पढ़ा जाये।

पुराना नाम
(राजकुमारी यादव)

नया नाम
(सुनीता)
पत्नी—विशन सिंह,
99, ग्राम रायरु, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1483)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म M/s SHREE RAM RAJA INFRA DEVELOPERS के नाम से एक भागीदारी फर्म है, जिसका पंजीयन क्रमांक 02-41-01-0043-21 एवं पंजीयन दिनांक 31-05-2021 है। इस फर्म में 21 फरवरी 2023 को भागीदार श्री अखिल गुप्ता एवं श्रीमती मुन्नी भार्गव सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सर्वसाधारण को सूचनार्थ है।

मे. श्रीरामराजा इन्फ्रा डेवलपर्स,
(अनिल कुमार गुप्ता)
पार्टनर।

(G-1484)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम राजेश माहौर अंकित है। लेकिन मेरी भारतीय जीवन बीमा पॉलिसियों एवं पेन कार्ड में राजेन्द्र अंकित है। राजेन्द्र एवं राजेश माहौर उपरोक्त दोनों नाम मुझ शपथकर्ता एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः मुझे मेरे नये नाम राजेश माहौर के नाम से जाना—पहचाना जावे।

पुराना नाम (राजेन्द्र)	नया नाम (राजेश माहौर) पुत्र—स्व. श्री गोपाल माहौर, पता—नई पानी की टंकी के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.).
(G-1485)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अविवाहित अवस्था का पुराना नाम विमला चारण पिता श्री भैंसरलाल जो मेरी बीमा पॉलिसी में दर्ज है तथा अन्य दस्तावेज में मेरा विवाह उपरान्त नया नाम गुड़ीबाई चारण दर्ज है इस प्रकार मैंने अपना नया नाम ग्रहण कर लिया है, सो मुझे मेरे नये परिवर्तित नाम गुड़ीबाई चारण के नाम से जाना—पहचाना व पुकारा जावे।

पुराना नाम (विमला चारण)	नया नाम (गुड़ीबाई चारण) पति—श्री शंकरलाल चारण, मकान नम्बर 195, वार्ड नम्बर 08, चारण मोहल्ला, ग्राम आलोरी गरवाडा, तहसील सिंगोली, जिला नीमच (म.प्र.).
(G-1486)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैं, घनश्याम मंडलेकर पुत्र स्व. श्री रामाधार मंडलेकर, निवासी—म.क्र. 08, तुलसी परिसर, फेज—2, खजुरी कलां, भोपाल, तहसील हुजूर, भोपाल (म.प्र.) मेरे नाम अंग्रेजी अक्षर में GHANSHYAM MANDLAKER S/o SHRI RAMADHAR MANDLAKER है। जिसमें मेरा उपनाम गलत लिखा है। बल्कि मेरा सही उपनाम GHANSHYAM MANDLEKAR S/o SHRI RAMADHAR MANDLEKAR है। मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ।

पुराना नाम (GHANSHYAM MANDLAKER)	नया नाम (GHANSHYAM MANDLEKAR)
(G-1487)	

CHANGE OF NAME

It is informed to the general public declare that name of my daughter Gohar Binaz Ghori D/o Asad Malik Ghori is incorrect. My daughter's correct name is Amber Ghori D/o Asad Malik Ghori. Gohar Binaz Ghori and Amber Ghori are the same person therefore in future my daughter should be known recognized read understood and called by her correct name Amber Ghori for all future purposes.

(Asad Malik Ghori) Add.- 224, Swami Dayanand Nagar, Colony, Indore (M.P.).
(G-1488)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह श्री समीर शर्मा आ. श्री योगेश्वर दत्त के साथ सम्पन्न हुआ है। विवाह के पूर्व मेरा नाम कुमारी डाली चोपड़ा पुत्री श्री विजय कुमार चोपड़ा था तथा मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा यही नाम अंकित है, विवाह के पश्चात् में श्रीमती हर्षिता शर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री समीर शर्मा के नाम से जानी—पहचानी जाती हूँ तथा अब मेरा यही नाम मेरे पति के निधन के पश्चात् लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम (कुमारी डाली चोपड़ा)	नया नाम (हर्षिता शर्मा)
(G-1489)	पता—124-A, नव दूरसंचार कॉलोनी, एस.बी.आई. ए.टी.एम. के पीछे G-2 गुलमोहर, E-8, अरेसा कॉलोनी, भोपाल.

नाम परिवर्तन

मैं, संजय रायकवार पुत्र स्व. एम.सी. रायकवार, एलआईजी-58, हाउसिंग पार्क कॉलोनी, बैरसिया रोड, करोंद, भोपाल मेरी पुत्री के स्कूल रिकार्ड में उसका नाम अमृषा रायकवार AMRASHA RAIKWAR कर दिया है, जो कि गलत है। अब मेरी पुत्री को अमृषा रायकवार AMRASHA RAIKWAR के नाम से सभी दस्तावेजों में जाना व पहचाना जाए।

पुराना नाम (अमृषा रायकवार) (AMRASHA RAIKWAR)	नया नाम (अमृषा रायकवार) (AMRASHA RAIKWAR)
(G-1490)	

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि मेरी पुत्री का पूर्व नाम यशी जैन पिता सौरभ जैन था यही नाम पुत्री के आधार कार्ड पर दर्ज/अंकित है एवं पुत्री के जन्म प्रमाण—पत्र पर उसका नाम आरना जैन (यशी) दर्ज/अंकित है। आरना जैन एवं यशी जैन दोनों ही नाम मेरी पुत्री के हैं। अतः मेरी पुत्री को नये नाम “आरना जैन” के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

(G-1491)	पिता—डॉ. सौरभ जैन, पता—गंगोत्री अपार्टमेंट, फ्लेट नं. 307, नियर शकुन्तला देवी हास्पिटल, गोयल नगर, इन्दौर (म.प्र.).
----------	---

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वर्तमान नाम छोटू यादव है जो कि मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है। मैं, अपना नाम छोटू यादव के स्थान पर विवेक यादव रख रहा हूँ। भविष्य में मुझे छोटू यादव के स्थान पर विवेक यादव के नाम से ही जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा जावे व सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (छोटू यादव)	नया नाम (विवेक यादव)
(G-1492)	पुत्र—राजवीर यादव, पता—ग्राम खोंकर लहरघाट,, तहसील गुना, जिला गुना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कल्याणी आंजना पिता तेजकरण आंजना था. मेरे द्वारा मेरा नाम कल्याणी आंजना पिता तेजकरण आंजना से परिवर्तित कर कल्याणी आंजना पिता तेज सिंह आंजना कर लिया है. कल्याणी आंजना पिता तेजकरण आंजना और कल्याणी आंजना पिता तेज सिंह आंजना एक ही व्यक्ति के नाम है. अब भविष्य में मुझे कल्याणी आंजना पिता तेज सिंह आंजना के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम
(कल्याणी आंजना पिता तेजकरण आंजना)
(G-1493)

नया नाम
(कल्याणी आंजना पिता तेज सिंह आंजना)
पता—ग्राम जलाल खेड़ी, पोस्ट अम्बोदिया,
तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सर्विस रिकार्ड में एवं सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में केदार नाथ पुत्र श्री शिव गोविन्द पटेल लिखा है.

अतः, अब मुझे मेरे नये नाम केदार नाथ पटेल पुत्र श्री शिव गोविन्द पटेल के नाम से जाना—पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय, अशासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(केदार नाथ)
(G-1494)

नया नाम
(केदार नाथ पटेल)
पुत्र—श्री शिव गोविन्द पटेल,
निवासी—मकान नं. JMC 6085,,
सरस्वती कॉलोनी, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.).

उपनाम परिवर्तन

मैं, मदनलाल महवार आत्मज रामकिशन महवार, निवासी—वार्ड क्र.—2, अम्बेडकर भवन के सामने, बंगाली कॉलोनी, नर्मदापुरम, तहसील व जिला नर्मदापुरम (म. प्र.). मेरे पीपीओ आदेश में मेरे एवं मेरी पत्नी के नाम के आगे मेरा सरनेम जाटव भूलवश अंकित हो गया है जबकि मेरा सही एवं वास्तविक सरनेम महवार है जो कि मेरे आधार कार्ड तथा मेरी पत्नी के आधार कार्ड में भी महवार अंकित है. मैं, अपने वास्तविक सरनेम मदनलाल महवार के नाम से जाना एवं पहचाना जाता हूँ. अतः मेरे पी.पी.ओ. आदेश एवं संबंधित दस्तावेजों में भी मेरा नाम मदनलाल महवार के नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

(G-1495)

भवदीय,
(मदनलाल महवार)
आत्मज रामकिशन महवार.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म Mishrilal & Co Registration No. 07/35/01/00045/06 पता—मकान नंबर 180, महू नीमच रोड, नई आबादी, मन्दसौर—458001 जिसमें जगदीश चौबे पिता छगनलाल चौबे, पता—मकान नंबर 11, वार्ड नंबर 17, जीवागंज, मन्दसौर—458001 दिनांक 15 मार्च 2017 को देहांत हो गया था एवं वे फर्म से अलग हो गए थे एवं दिनांक 15 मार्च 2017 से फर्म में उनकी भागीदारी नहीं रहेगी.

विश्वनाथ चौबे पिता जगदीश चौबे, पता—11, जीवागंज, रोड नंबर 1, मन्दसौर—458001 एवं विनोद चौबे पिता छगनलाल चौबे, पता—नारायण निवास, जीवागंज, मन्दसौर—458001 स्वेच्छा से शामिल हो गए थे एवं दिनांक 27 मार्च 2017 से इनकी भागीदारी मानी जावेगी.

विश्वनाथ चौबे पिता जगदीश चौबे, पता—11, जीवागंज, रोड नम्बर 1, मन्दसौर—458001 एवं विनोद चौबे पिता छगनलाल चौबे, पता—नारायण निवास, जीवागंज, मन्दसौर—458001 स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गए थे एवं दिनांक 1 अप्रैल 2021 से इनकी भागीदारी नहीं मानी जावेगी।

विश्वनाथ चौबे पिता जगदीश चौबे, पता—11 जीवागंज, रोड नंबर 1, जीवागंज, मन्दसौर—458001 स्वेच्छा से पुनः दिनांक 20 दिसम्बर 2022 से फर्म में शामिल हो गए थे। दिनांक 20 दिसम्बर 2022 से इनकी भागीदारी मानी जावेगी।

वर्तमान में इस फर्म Mishrilal & Co के भागीदार निम्नानुसार हैं :—

1. राजेन्द्र चौबे

(पार्टनर)

2. सुभाष चंद्र जैन

(पार्टनर)

3. विश्वनाथ चौबे

(पार्टनर)

(G-1496)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मनीष क्षत्रीय (MANISH KSHATRI) पिता श्री मनोहरलाल बाम्बा (M. L. BAMBA) निवासी—65, शहीद नगर कॉलोनी, करबला रोड, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म. प्र. ने अपना पुराना नाम मनीष क्षत्रीय (MANISH KSHATRI) का त्याग कर नया नाम मनीष बाम्बा (MANISH BAMBA) पिता श्री मनोहरलाल बाम्बा रख लिया है। मेरे समर्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों में मेरे पुराने नाम मनीष क्षत्रीय (MANISH KSHATRI) के स्थान पर नया नाम मनीष बाम्बा (MANISH BAMBA) लिखा व अंकित किया जाये, अब मैं अपने नये नाम मनीष बाम्बा (MANISH BAMBA) के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।

पुराना नाम

(मनीष क्षत्रीय)

(MANISH KSHATRI)

नया नाम

(मनीष बाम्बा)

(MANISH BAMBA)

पुत्र श्री मनोहरलाल बाम्बा

(M. L. BAMBA)

(G-1497)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स KANHA INFRA, पंजीयन क्र. 05/26/01/0027/22, दि. 30/05/2022 है जिसका पंजीकृत पता 04, Near LIC Branch, Krishna Nagar, Raghuraj Nagar, Satna, M.P. है जिसमें दिनांक 27-03-2023 को श्री हितेश महेश्वरी पिता श्री जगदीश प्रसाद महेश्वरी एवं श्री अनुराग अग्रवाल पिता श्री संजीव अग्रवाल को नये भागीदार के रूप में फर्म में शामिल किया गया है,

M/s KANHA INFRA,

(अवनीश सिंह)

(भागीदार)

(G-1498)

नाम परिवर्तन

I Aliya Usman Mansoori (आलिया उस्मान मंसूरी) —D/o Shri Ravi Pillai R/o House No-4, Bharat Colony,

Madan Mahal, Jabalpur has change my name from Aliya Usman Mansoori (आलिया उस्मान मंसूरी) to Vanshika Pillai (वंशिका पिल्लई).

पुराना नाम	नया नाम
(आलिया उस्मान मंसूरी)	(वंशिका पिल्लई)

(G-1499)

नाम परिवर्तन

मैं, POONAM BAMRELE W/o RAKESH BAMRELE निवासी— 267, नारियलखेड़ा, शारदा नगर, भोपाल (म.प्र.) की हूं यह कि मेरी पुत्री— दीक्षा बमरेले के स्कूल रिकार्ड में मेरा नाम — POONAM BAMRELE एवं मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम —DIPIKA दर्ज है जिस भी दस्तावेजों में मेरा नाम —DIPIKA दर्ज है उसके स्थान पर मेरा नाम— POONAM BAMRELE पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(DIPIKA)	(POONAM BAMRELE)

(G-1500)

नाम परिवर्तन

मैं संजय कुमार पटेल पुत्र इन्द्रमणि प्रसाद पटेल निवासी वार्ड नंबर 5, ग्राम व पोस्ट जोड़ीरी, तहसील मनगवा, जिला रीवा (म.प्र.) सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि पहले मेरा नाम संजय कुमार पटेल था. जो मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है किंतु अब मैंने अपना नाम संजय कुमार पटेल से बदलकर शिवाजी महाराज कर लिया है। मैं अब इसी नए नाम शिवाजी महाराज से जाना / पहचाना जाता हूं।

पुराना नाम	नया नाम
(संजय कुमार पटेल)	(शिवाजी महाराज)

(G-1501)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम राहुल लॉरेंस (RAHUL LAWRENCE) पिता रॉबर्ट लॉरेंस था, जो कि मेरे दस्तावेज प्रमाण पत्रों पर अंकित हो गया है, जिसको मैंने परिवर्तित कर राहुल जोशी (RAHUL JOSHI) कर लिया है, अतः भविष्य में मुझे राहुल जोशी (RAHUL JOSHI) के नाम से ही जाना पहचाना व संबोधित किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(राहुल लॉरेंस) (RAHUL LAWRENCE)	(राहुल जोशी) (RAHUL JOSHI)
	पिता रॉबर्ट लॉरेंस
	पता—187, सेक्टर-बी, अमृत पैलेस,
	निपानिया, इंदौर म. प्र.

(G-1502)

नाम परिवर्तन

मैं, दीप्ति चौरसिया पति श्री राकेश कुमार चौरसिया, मेरे समस्त दस्तावेजों में नाम दीप्ति चौरसिया दर्ज है. चूंकि मेरा पेन कार्ड दीप्ति राकेश चौरसिया के नाम से बना हुआ है.

अतः पेन कार्ड में मेरा नाम दीप्ति चौरसिया दर्ज किया जावे.

सूचनाकर्ता,

(दीप्ति चौरसिया)
तिलि वार्ड, सागर (म.प्र.)

(G-1503)

CHANGE OF SURNAME

I am Army Service name Ravinder S/o Dulichand Barore, Resident of Dharnaka Risala Mhow, District Indore, M.P. have changed my name from Ravinder to Ravinder Barore.

पुराना नाम

नया नाम

(रविन्द्र)

(रविन्द्र बरोरे)

(Ravinder)

(Ravinder Barore)

(G-1504)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण सूचित हो कि मैं, पूनम राजपूत पत्नी श्री रवि साहू विवाह पूर्व मेरा नाम पूनम राजपूत था जो विवाह पश्चात् बदलकर पूनम साहू पत्नी श्री रवि साहू हो गया है जो सही एवं सत्य है। अतः भविष्य में भी मुझे मेरे सही नाम पूनम साहू पत्नी श्री रवि साहू से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(पूनम राजपूत)

(पूनम साहू)

(Poonam Rajput)

(Poonam Sahu)

(G-1505)

निवासी— म. न. 4, शिव नगर, फेस-3,

विदिशा रोड, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम गुणवीर सिंह छाबडा (GUNVEER SINGH CHHABRA) पिता करतार सिंह छाबडा है जो कि सही व सत्य है तथा मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर भी दर्ज है. किन्तु मेरे शेयर प्रमाण—पत्र पर त्रुटिवश मेरा नाम गुणवीर सिंह करतार सिंह छाबडा एच.यु एफ. (GUNVEER SINGH KARTAR SINGH CHHABRA H U F) दर्ज हो गया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम गुणवीर सिंह छाबडा (GUNVEER SINGH CHHABRA) पिता करतार सिंह छाबडा के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(गुणवीर सिंह करतार सिंह छाबडा एच.यु एफ.)

(गुणवीर सिंह छाबडा)

(GUNVEER SINGH KARTAR SINGH CHHABRA H U F)

(GUNVEER SINGH CHHABRA)

(G-1506)

पता— 70, पलसीकर कॉलोनी,

इन्दौर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम सुलभा रामकृष्ण देशमुख (SULBHA RAMKRUSHNA DESHMUKH) पिता रामकृष्ण देशमुख था. शेयर प्रमाण—पत्र पर मेरा नाम सुलभा रामनृष्ण देशमुख (SULBHA RAMNRUSHNA DESHMUKH) तथा कुछ शेयर प्रमाण पर मेरा नाम देशमुख सुलभा रामकृष्ण (DESHMUKH SULBHA RAMKRUSHNA)

अंकित हो गया है. रविन्द्र खांडेकर से विवाह के पश्चात् अब मेरा नाम सुलभा खांडेकर (SULBHA KHANDEKAR) हो गया है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर अंकित है, अतः भविष्य में मुझे सुलभा खांडेकर पति. रविन्द्र खांडेकर के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(सुलभा रामकृष्ण देशमुख)
(SULBHA RAMKRUSHNA DESHMUKH)
(G-1507)

नया नाम
(सुलभा खांडेकर)
(SULBHA KHANDEKAR)
पति—रविन्द्र खांडेकर,
पता— 31—3, गणेश कॉलोनी प्रारंभ,
दादावाडी के पास, इंदौर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर का बोलता नाम मंजू जैन था, जो कि मेरे हस्तान्तरित शेयर प्रमाण—पत्र पर लिखा गया है. जबकि मेरा वास्तविक व सही नाम मंजू धारीवाल पति श्री विनोद कुमार धारीवाल है जो कि मेरे पेन कार्ड एवं आधार कार्ड पर भी अंकित है, अतः भविष्य में मुझे मंजू धारीवाल पति श्री विनोद कुमार धारीवाल के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(मंजू जैन)
(G-1508)

नया नाम
(मंजू धारीवाल)
पति – श्री विनोद कुमार धारीवाल
पता – 23, चन्द्रशेखर गली, महिदपुर,
उज्जैन (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम मोरीना बोहरा (MORINA BOHRA) था, जो कि मेरी अंक सूची में अंकित है. श्री पियूष धारीवाल से विवाह के बाद अब मेरा नाम मानसी धारीवाल (MANI DHARIWAL) हो गया है. जो कि मेरे पेन कार्ड एवं आधार कार्ड पर भी अंकित है, अतः भविष्य में मुझे मानसी धारीवाल पति श्री पियूष धारीवाल के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(मोरीना बोहरा)
(MORINA BOHRA)
(G-1509)

नया नाम
(मानसी धारीवाल)
(MANI DHARIWAL)
पति – श्री पियूष धारीवाल
पता – 57, दशहरा मैदान,
उज्जैन (म.प्र.)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि दिनांक 02 जुलाई 2018 को गठित होकर क्रियाशील हुई भागीदारी फर्म M/s EKTA GRANITE में पूर्व में भागीदार क्रमशः 1. श्री प्रदीप सिंह पिता श्री फूलसिंह, 2. श्रीमती काजल राजे पति श्री प्रदीप सिंह थे, आज दिनांक 13—10—2022 को भागीदार क्रमांक—3 श्रीमती प्रतिभा सिंह पति श्री प्रदीप सिंह फर्म में सम्मिलित हो गई हैं और इस संबंध में आज दिनांक 13—10—2022 को ही संशोधित भागीदारी पत्रक का निष्पादन हुआ है और जो आज से ही प्रभावशील हो गया है अर्थात् यह संशोधित भागीदारी पत्रक दिनांक 13—10—2022 को व्यवसायिक गतिविधियों की समाप्ति के बाद दिनांक 13—10—2022 से प्रभावशील मानते हुए लेखबद्ध किया गया है.

(G-1510)

M/s EKTA GRANITE
प्रदीप सिंह
(पार्टनर).

न्यायालयों की सूचनाएं

**न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, नागदा, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश क्र.-क्यू-रीडर-2023-261
प्र. क्र. 0001-बी-113(1)-22-23.**

नागदा, दिनांक 15 मार्च 2023

**लोक न्यासों के पंजीयक, नागदा जिला के समक्ष
प्रारूप क्र. 4**

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) के द्वारा]

यह कि महन्त श्री अमरदास निवासी भगतपुरी, नागदा, जिला उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 19-10-2022 को प्रातः 11.00 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपरिथित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा :—

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	: श्री गउ ब्राह्मण संत सनातन सेवा संस्थान
लोक न्यास का कार्यालय	: रामधाम तपोवन आश्रम भगतपुरी, नागदा
लोक न्यास की चल सम्पत्ति	: निरंक
लोक न्यास की अचल सम्पत्ति	: निरंक

(G-1511)

आशुतोष गोस्वामी, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी।

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), क्षेत्र सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश

क्र.-4027-री-1-2023

प्र. क्र. 0002-बी-114(4)-2023-24

एतद्वारा, सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मां जयति माता सेवा समिति, जयंति माता मंदिर, चोटिया बालोद तर्फे अध्यक्ष अनिल कुमार पिता कन्हैयालाल पाटीदार, निवासी-ग्राम चोटिया बालोद, तहसील सरदारपुर, जिला धार द्वारा "मां जयति माता सेवा समिति, जयंति माता मंदिर, चोटिया बालोद, तहसील सरदारपुर, जिला धार" के नाम से लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 (1) नियम 3 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है। उक्त के संबंध में प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में निधिवत पंजीबद्ध किया जाकर सुनवाई की जा रही है।

अतः मध्यप्रदेश लोक न्यास ट्रस्ट अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत में उल्लेख प्रावधान अनुसार उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो, वह व्यक्ति स्वयं या मार्फत अभिभाषक के विज्ञप्ति प्रसारण के 30 दिवस के भीतर मेरे न्यायालय में उपरिथित होकर अपनी आपत्ति 02 प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद समाप्ति के किसी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 25 जुलाई 2023 को मेरे न्यायालय तथा हस्ताक्षर मुद्रा से जारी की गई।

(G-1512)

राहुल चौहान, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)।

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश

क्र.-172-रीडर-2023

प्र. क्र. 10-बी-113(1)-22-23

मंदसौर, दिनांक 6 फरवरी 2023

नियम-चार

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष

श्री जिनकुशल चेरीटेबल ट्रस्ट जर्ये मंदसौर

चूंकि, श्री जिनकुशल चेरीटेबल ट्रस्ट जर्ये मंदसौर अध्यक्ष अनिल बर्डीया पिता कुबेरसिंह बर्डीया, निवासी मंदसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) धारा 4 के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के, पंजीयन के लिये आवेदन किया है। ऐतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 16-08-2023 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है।

अतः शिवलाल शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 16-08-2023 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित लांच करना प्रस्तावित करता हूं, अतः ऐतद्वारा, सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों का विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा :—

संपत्ति का विवरण

(अ) अचल संपत्ति –
(ब) चल संपत्ति –

निरंक
निरंक

(G-1513)

शिवलाल शाक्य, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक।

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, अनूपपुर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश
क्र.-571-री.-एसडीओ-ट्रस्ट-2023

अनूपपुर, दिनांक 7 जुलाई 2023

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1952 के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, अनूपपुर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

आवेदक "श्री सांई एजूकेशनल ट्रस्ट" पंजीकृत कार्यालय, ग्राम पयारी, तहसील अनूपपुर, जिला अनूपपुर, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष-सुभद्रा घोष पत्नी जयकुमार घोष, निवासी-1बी/40, जमुनाकालरी, थाना भालूमाडा, जिला अनूपपुर (म. प्र.) प्रबंध न्यासी/सचिव-सत्यजीत घोष पुत्र श्री एम. एस. घोष, निवासी-501, सैफायर बीडीआई, सनसाईन सिटी, भिवाडी, जिला अलवर (राजस्थान) न्यासी— जया घोस पत्नी इन्द्रजीत घोस, निवासी वार्ड क्र. 06, जमुना कालरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.) व चैताली घोस पत्नी विश्वजीत घोस, निवासी 1बी /40, जमुनाकालरी, थाना भालूमाडा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट व उसकी सम्पत्ति, जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे, तो वह उक्त सूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस व समय में स्वयं अथवा अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :—

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	:	"श्री सांई एजूकेशनल ट्रस्ट"
पंजीकृत कार्यालय	:	ग्राम पयारी, तहसील व जिला अनूपपुर (म. प्र.)
पत्राचार पता	:	१बी / 40, जमुनाकालरी, पोस्ट-जमुनाकालरी, थाना भालूमाडा, तहसील व जिला अनूपपुर (म. प्र.)
चल व अचल सम्पत्ति	:	21000.00 (रु. इक्कीस हजार मात्र), अचल सम्पत्ति निरंक.

(G-1514)

दीप शिखा भगत, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश

क्र. परि.—2023—227.

देवास, दिनांक 24 जनवरी 2023

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कवलासा, पंजीयन क्रमांक 1391, दिनांक 13—01—2014 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7—क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 23—11—2022 से सूचित किया गया है कि संस्था पर्यवेक्षक ने अवगत करवाया है कि संस्था विगत दो वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है। तथा भविष्य में दूध संकलन होने की संभावना नहीं है एवं संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था को चलाने में कोई रुचि नहीं होना दर्शित किया है, तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1710, दिनांक 04—11—2022 से कारण बताओ सूचना—पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना—पत्र तामील होने के बाद भी सूचना—पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ, उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्यों में संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26—07—1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कवलासा, पंजीयन क्रमांक 1391, दिनांक 13—01—2014 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्री अखिलेश अहिरवार, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि.—2023—228.

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बाडोली, पंजीयन क्रमांक 1447, दिनांक 02—07—2014 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7—क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 09—12—2022 से सूचित किया गया है कि संस्था विगत वर्ष में लगभग 02—03 माह ही कार्यशील रही एवं संस्था के सदस्यों

द्वारा संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने एवं संस्था के आगे भी संचालन में कोई रुचि नहीं होना दर्शित किया है, तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2368, दिनांक 22-12-2022 से कारण बताओ सूचना-पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना-पत्र तामील होने के बाद भी सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ, उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बाडोली, पंजीयन क्रमांक 1447, दिनांक 02-07-2014 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती तरुणा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि.-2023-230.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, संवरसी, पंजीयन क्रमांक 334, दिनांक 03-03-1980 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख.) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 31-10-2022 से सूचित किया गया है कि संस्था अकार्यशील होकर बन्द है तथा संस्था के सदस्यों में भी संस्था संचालन करने में कोई रुचि नहीं है एवं संस्था के सदस्यों द्वारा भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन करवाये जाने में भी कोई रुचि नहीं होना दर्शित किया है। तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1702, दिनांक 4-11-2022 से कारण बताओ सूचना-पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना-पत्र तामील होने के बाद भी सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, संवरसी, पंजीयन क्रमांक 334, दिनांक 03-03-1980 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्री विवेक व्यास, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि.-2023-231.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिलावली, पंजीयन क्रमांक 537, दिनांक 04-01-1984 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख.) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 2-11-2022 से सूचित किया गया है कि इन्दौर दुग्ध सहकारी संघ के क्षेत्रीय पर्यवेक्षक से सम्पर्क किया। उनके द्वारा बताया गया कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर पूर्णतः बन्द है एवं संस्था के सदस्यों द्वारा भी संस्था संचालन की आगे कोई संभावना नहीं होना दर्शित किया गया है, तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (3) के

अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1754, दिनांक 10—11—2022 से कारण बताओ सूचना—पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना—पत्र तामील होने के बाद भी सूचना—पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप—रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26—07—1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिलावली, पंजीयन क्रमांक 537, दिनांक 04—01—1984 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्री विनोद सरयाम, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि.—2023—232.

दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बैरागढ़, पंजीयन क्रमांक 358, दिनांक 06—09—1980 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7—क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 29—11—2022 से सूचित किया गया है कि संस्था सचिव द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि संस्था विगत दो वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है तथा भविष्य में दुर्घट संकलन होने की कोई संभावना नहीं है एवं संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के संचालन करने में कोई रुचि नहीं होना दर्शित किया गया है, तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2034, दिनांक 06—12—2022 से कारण बताओ सूचना—पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना—पत्र तामील होने के बाद भी सूचना—पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि पूर्व में ही संस्था सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था के आगे संचालन की कोई संभावना नहीं है। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप—रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26—07—1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बैरागढ़, पंजीयन क्रमांक 358, दिनांक 06—09—1980 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती अनिता मेहरा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि.—2023—233.

दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आनंदनगर, पंजीयन क्रमांक 1255, दिनांक 29—09—2011 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7—क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 01—11—2022 से सूचित किया गया है कि इन्दौर दुर्घट सहकारी संघ के क्षेत्रीय पर्यवेक्षक से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था विगत चार वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है तथा संस्था के कार्यक्षेत्र में दुर्घट प्रदायक भी नहीं होने से आगे भी संस्था संचालन की कोई संभावना नहीं होना दर्शित किया गया है, तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1705, दिनांक 4–11–2022 से कारण बताओ सूचना—पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना—पत्र तामील होने के बाद भी सूचना—पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप—रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26—07—1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आनंदनगर, पंजीयन क्रमांक 1255, दिनांक 29—09—2011 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्री अखिलेश अहिरवार, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि.—2023—235.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पाटाखाल, पंजीयन क्रमांक 1286, दिनांक 03—11—2012 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7—क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 01—11—2022 से सूचित किया गया है कि इन्दौर दुग्ध सहकारी संघ के क्षेत्रीय पर्यवेक्षक से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था विगत चार वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है तथा संस्था के कार्यक्षेत्र में दुग्ध प्रदायक नहीं होने से आगे भी संस्था संचालन की कोई संभावना नहीं होना दर्शित किया गया है, तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1704, दिनांक 4—11—2022 से कारण बताओ सूचना—पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना—पत्र तामील होने के बाद भी सूचना—पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप—रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26—07—1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पाटाखाल, पंजीयन क्रमांक 1286, दिनांक 03—11—2012 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्री संजय चतुर, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि.—2023—236.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अचलूखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 356, दिनांक 06—09—1980 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7—क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 31—10—2022 से सूचित किया गया है कि संस्था अकार्यशील होकर बन्द है तथा संस्था के सदस्यों में भी संस्था संचालन करने में कोई रुचि नहीं है एवं संस्था के सदस्यों द्वारा भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन करवाये जाने में भी कोई रुचि नहीं है। तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1700, दिनांक 4—11—2022 से कारण बताओ सूचना—पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना—पत्र तामील होने के बाद भी सूचना—पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अचलूखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 356, दिनांक 06-09-1980 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी / ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्री हीरालाल मन्तोरे, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि.-2023-237.

दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अकालिया, पंजीयन क्रमांक 1190, दिनांक 06-11-2007 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 01-11-2022 से सूचित किया गया है कि संस्था से कई बार सम्पर्क किया गया एवं पत्र भी प्रेषित किया गया। संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन नहीं करवाना चाहती है। तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1753, दिनांक 10-11-2022 से कारण बताओ सूचना-पत्र तामील होने के बाद भी सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अकालिया, पंजीयन क्रमांक 1190, दिनांक 06-11-2007 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी / ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती अनिता मेहरा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि.-2023-238.

दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपल्याघाघरिया, पंजीयन क्रमांक 1426, दिनांक 15-05-2014 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 23-11-2022 से सूचित किया गया है कि संस्था पर्यवेक्षक ने अवगत करवाया है कि संस्था विगत दो वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है तथा भविष्य में दुर्घट संकलन होने की संभावना नहीं है एवं संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था को चलाने में कोई रुचि नहीं होना दर्शित किया गया है, तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1710, दिनांक 04-11-2022 से कारण बताओ सूचना-पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना-पत्र तामील होने के बाद भी सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप—रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—५—१—९९—पन्द्रह—१—सी, दिनांक २६—०७—१९९९ के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपल्याघाघरिया, पंजीयन क्रमांक १४२६, दिनांक १५—०५—२०१४ है, को अधिनियम की धारा ६९(२) (सी / ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा ७० के अंतर्गत श्री हीरालाल मन्सोरे, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक २४ जनवरी २०२३ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि.—२०२३—२३९.

हरि बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चासिया, पंजीयन क्रमांक १५५५, दिनांक १३—०३—२०१५ है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, १९६० की धारा ४९ (७—क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक ०२—११—२०२२ से सूचित किया गया है कि संस्था के सदस्यों से सम्पर्क किया। उनके द्वारा बताया गया कि संस्था द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था के आगे संचालन की भी कोई संभावना नहीं होना दर्शित किया गया है, तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा ६९ (३) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक १७५६, दिनांक ४—११—२०२२ से कारण बताओ सूचना—पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये १५ दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना—पत्र तामील होने के बाद भी सूचना—पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप—रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—५—१—९९—पन्द्रह—१—सी, दिनांक २६—०७—१९९९ के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरि बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चासिया, पंजीयन क्रमांक १५५५, दिनांक १३—०३—२०१५ है, को अधिनियम की धारा ६९(२) (सी / ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा ७० के अंतर्गत श्री प्रदीप पाठक, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक २४ जनवरी २०२३ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि.—२०२३—२४०.

आदर्श किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अजनास, पंजीयन क्रमांक १५२८, दिनांक १६—१२—२०१४ है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, १९६० की धारा ४९ (७—क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक ३१—१०—२०२२ से सूचित किया गया है कि संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से ही किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है। संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील होकर बन्द है तथा संस्था के सदस्यों में संस्था का संचालन करने में कोई रुचि न होकर आगे भी संस्था के संचालन की कोई संभावना नहीं है, होना दर्शित किया गया है, तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा ६९ (३) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक १७१२, दिनांक ४—११—२०२२ से कारण बताओ सूचना—पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये १५ दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना—पत्र तामील होने के बाद भी सूचना—पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप—रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—५—१—९९—पन्द्रह—१—सी, दिनांक २६—०७—१९९९ के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अजनास, पंजीयन क्रमांक १५२८, दिनांक १६—१२—२०१४ है, को

अधिनियम की धारा 69(2) (सी / ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत श्री मयंक रावत, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि.—2023—241.

वसुन्धरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खूटखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 1543, दिनांक 29—01—2015 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7—क) (ख) के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 31—10—2022 से सूचित किया गया है कि संस्था अकार्यशील होकर बन्द है तथा संस्था के सदस्यों में संस्था का संचालन करने में कोई रुचि न होकर आगे भी संस्था के संचालन की कोई संभावना नहीं है, होना दर्शित किया गया है, तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1710, दिनांक 4—11—2022 से कारण बताओ सूचना—पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना—पत्र तामील होने के बाद भी सूचना—पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप—रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26—07—1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वसुन्धरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खूटखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 1543, दिनांक 29—01—2015 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी / ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत श्री जे.एस. खिची, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि.—2023—242.

नवनीत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सोनखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 1582, दिनांक 16—07—2015 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7—क) (ख) के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 31—10—2022 से सूचित किया गया है कि संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से ही किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है। संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील होकर बन्द है तथा संस्था के सदस्यों में संस्था का संचालन करने में कोई रुचि न होकर आगे भी संस्था के संचालन की कोई संभावना नहीं है, होना दर्शित किया गया है, तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1707, दिनांक 4—11—2022 से कारण बताओ सूचना—पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना—पत्र तामील होने के बाद भी सूचना—पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप—रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26—07—1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नवनीत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सोनखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 1582, दिनांक 16—07—2015 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी / ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत श्री मयंक रावत, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि.-2023-243.

अमीषा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भड़ापिल्या, पंजीयन क्रमांक 23, दिनांक 04-02-2014 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 31-10-2022 से सूचित किया गया है कि संस्था अकार्यशील होकर बन्द है तथा संस्था के सदस्यों में संस्था का संचालन करने में कोई रुचि न होकर आगे भी संस्था के संचालन की कोई संभावना नहीं है, होना दर्शित किया गया है, तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1709, दिनांक 4-11-2022 से कारण बताओ सूचना-पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना-पत्र तामील होने के बाद भी सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमीषा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भड़ापिल्या, पंजीयन क्रमांक 23, दिनांक 04-02-2014 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्री डॉ. के. शर्मा, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि.-2023-244.

स्नेह बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गाड़ागांव, पंजीयन क्रमांक 1598, दिनांक 06-01-2015 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 1-11-2022 से सूचित किया गया है कि संस्था से कई बार सम्पर्क किया गया एवं भी प्रेषित किया गया संस्था द्वारा अवगत कराया कि संस्था के सदस्य संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन नहीं करवाना चाहती है। तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1751, दिनांक 10-11-2022 से कारण बताओ सूचना-पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना-पत्र तामील होने के बाद भी सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्नेह बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गाड़ागांव, पंजीयन क्रमांक 1598, दिनांक 06-01-2015 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्री अजय पाठक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि.-2023-245.

कबीर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1109, दिनांक 29-10-2005 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र

दिनांक 31-10-2022 से सूचित किया गया है कि संस्था अकार्यशील होकर बन्द है तथा संस्था के सदस्यों में संस्था का संचालन करने में कोई रुचि नहीं है और न ही आगे भी संस्था के संचालन की कोई संभावना है, तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1711, दिनांक 04-11-2022 से कारण बताओ सूचना-पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना-पत्र तामील होने के बाद भी सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कबीर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1109, दिनांक 29-10-2005 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी / ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती तरुणा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि-2023-246.

प्रियंका महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 991, दिनांक 19-11-2011 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 01-11-2022 से सूचित किया गया है कि संस्था से कई बार सम्पर्क किया गया। संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन नहीं कराना चाहते हैं। तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1756, दिनांक 4-11-2022 से कारण बताओ सूचना-पत्र तामील होने के बाद भी सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रियंका महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 991, दिनांक 19-11-2011 है, को अधिनियम की धारा 69 (2) (सी / ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्री हीरालाल मन्सौर, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि-2023-247.

स्टेप्डर्ड मिल कामगार साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 176, दिनांक 03-08-1954 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 24-11-2022 से सूचित किया गया है कि संस्था के पूर्व अध्यक्ष से दूरभाष पर चर्चा की गयी। उनके द्वारा बताया गया कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है तथा भविष्य में संचालन की कोई संभावना नहीं है, तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2035, दिनांक 06-12-2022 से कारण बताओ सूचना-पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था,

विधिवत् सूचना—पत्र तामील होने के बाद भी सूचना—पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, परमानन्द गोडरिया, उप—रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26—07—1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्टेप्डर्ड मिल कामगार साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 176, दिनांक 03—08—1954 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी / ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्री डी. एस. बाल्के, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

क्र. परि.—2023—248.

तिरुपति परिवहन सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1589, दिनांक 30—07—2015 है, के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7—क) (ख) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया था। संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 29—11—2022 से सूचित किया गया है कि संस्था सचिव द्वारा अवगत कराया है कि संस्था विगत 02 वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है तथा संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असमर्थता संस्था आगे भी संचालन की कोई संभावना नहीं होना दर्शित किया गया है, तत्संबंध में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1970, दिनांक 02—12—2022 से कारण बताओ सूचना—पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था, विधिवत् सूचना—पत्र तामील होने के बाद भी सूचना—पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि पूर्व में ही संस्था की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि संस्था विगत दो वर्षों से अकार्यशील है। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः, मैं, परमानन्द गोडरिया, उप—रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26—07—1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तिरुपति परिवहन सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1589, दिनांक 30—07—2015 है, को अधिनियम की धारा 69(2) (सी / ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्बेकर, उप अंकेक्षण को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1515)

परमानन्द गोडरिया, उप रजिस्ट्रार.

इसे वेबसाइट www.govt_press.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त 2023—श्रावण 13, शक 1945

भाग 3 (2)

निरंक